कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2870 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई-21 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री जयकिशन शर्मा, / 01.08.1971 / बुलन्दशहर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर।	सिचांई खण्ड, अल्मोडा।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

8/6/18

(2)

संख्याः–2870 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 / 2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, उधमसिंह नगर / अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर / अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3286 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई-21/स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता /01.04.1964 /उधमसिंह नगर	सिचाई खण्ड, रुद्रपुर।	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

08.6.18 08/6/18

(4)

संख्याः–3286 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।
2. मुख्य अभियन्ता(यॉ0) (स्तर–2) सिंचाई विभाग, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, उधमसिंह नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोडा।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रुद्रपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल खण्ड, अल्मोडा।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
9. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

07.6.18 07/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2236 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई-21 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री गणेश कुमार / 03.03.1965 / देहरादून।	सिचांई खण्ड, विकासनगर।	सिंचाई खण्ड, कालसी। (त्युणी चौकी)	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

8.6.18 8/6/18

(6)

संख्याः–2236 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी / विकासनगर देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8.6.18

8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2626 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई-21/स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्त रित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री हरिश चन्द्र भट्ट /16.05.1985/रुद्रपुर।	सिचांई खण्ड, रुद्रपुर।	सिचांई खण्ड, नैनीताल (उपखण्ड द्वितीय बेताल घाट चौकी में पदस्थापित)	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

8.6.18

8/6/18

(8)

संख्याः–2626 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर / हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर / नैनीताल।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8.6.18 8/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:–3105 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई-21 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा **स्वंय के अनुरोध पर** में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
01	श्री मनोज कुमार / 12.07.1995 / देहरादून।	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	सिचाई खण्ड, श्रीनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–13(1) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोंधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8.6.18

8/6/18

(एन0के0 शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(10) संख्याः–3106 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून / श्रीनगर, उत्तराखण्ड,
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून / श्रीनगर
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8.6.18

8/6/18

(11)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः–3106 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई-215 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा **स्वंय के अनुरोध पर** में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
02	श्री सतीश चन्द्र सुयाल, / 24.01.1961 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	सिचाई खण्ड, श्रीनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–13(6) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोंधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8.6.18

8/6/18

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(12)

संख्याः–3106 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून / श्रीनगर, उत्तराखण्ड,
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून / श्रीनगर
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8-6-18 8/6/18

(13)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2241 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई-21 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
06	श्री कुंजर सिंह / 01.01.1968 / बागेश्वर	सिचाई खण्ड, कपकोट।	सिचांई खण्ड, बागेश्वर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–13 (2) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

07.6.18 8/6/18

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(14)

संख्याः–2241 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग,अल्मोड़ा
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,,अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,कपकोट / बागेश्वर।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8-6-18 8/6/18

(15)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2402 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0–2 / ई-21 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री रुकम सिंह राणा / 04.06.1966 / उत्तरकाशी।	सिंचाई खण्ड , पुरोला।	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकं द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8.6.18

8/6/18

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(16)

संख्याः–2402 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, देहरादून / उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,देहरादून / पुरोला ।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8.6.18 8/6/18

(12)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक– 2160 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई-21 /स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्त रित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री रामशरण सौनी, /05.09.1963 /सुल्तानपुर	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।	सिचांई खण्ड, चमोली।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यलय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

8.6.18 8/6/18

(18)

संख्याः– 4060 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार / श्रीनगर।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, हरिद्वार / रुद्रप्रयाग।
3. आशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार / चमोली।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता
8.6.18
8/6/18

(19)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 2540 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री माल चन्द नेगी /15.02.1967 /उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड , पुरोला।	सिंचाई खण्ड, कालसी।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8-6-18 8/6/18

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

(20)

संख्याः–2540 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, देहरादून / उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी / पुरोला ।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

8.6.10

8/6/18